निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 238) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

20 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–1–12/2010/186—श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान महानंदा तटबंध के कार्य से संबंधित निविदा सं0 01/2010–11 में बरती अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आलोक में समीक्षोपरान्त निविदा को निहित स्वार्थ के लिए निस्तारित करने एवं आवश्यक कार्य सम्पादन की मात्रा को एस0बी0डी0 के प्रावधान के विपरीत किसी खास संवेदक को लाभ पहुॅचाने हेतु कम करके निर्धारित करना जैसे प्रथम द्रस्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनसे पत्रांक 1075 दिनांक 01.10.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि इस निविदा में मुख्य भूमिका श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता की रही है और सभी प्रकार की कार्रवाई श्री सक्सेना के स्तर से किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा नियम के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की गयी।

(1) यह निविदा महानंदा नदी के बॉये एवं दॉये तटबंध के उच्चीकरण से संबंधित था और इसका पूर्ण कार्यक्षेत्र कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अधीन था तब निविदा आमंत्रण कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत होना चाहिए था परन्तु इस मामले में मुख्य अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की गई।

(2) निविदा के लिए एस0बी0डी0 के प्रावधान 4.5 'ए' के अनुसार न्यूनतम मात्रा 50% होना चाहिए था और पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2106 दिनांक 21.01.07 के अनुसार संवेदकों की कमी होने पर इसे कार्यपालक अभियंता को कम करने का अधिकार दिया गया है परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार में ही इसे Arbitrary रूप से मिट्टी कार्य हेतु 28.75% और ब्रिक कार्य हेतु 14.98% निर्धारित किया गया। नियमानुसार प्रथम निविदा में एस0बी0डी0 के प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम मात्रा रखी जानी चाहिए थी परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा प्रथम बार में ही Arbitrary ढंग से कार्यानुभव की मात्रा घटा दी गयी, जिसके लिए उन्हें शक्ति प्रदत्त नहीं थी।

(3) निविदा प्राप्ति की तिथि 22.04.10 निर्धारित थी परन्तु तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा निविदा प्राप्ति की तिथि 30.04.10 तक बढ़ा दी गयी और प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 23.04.10 एवं 25.04.10 को किया गया। जबकि निविदा खरीदने की तिथि यथावत (21.04.10) ही रखी गयी। यदि निविदा प्राप्ति की तिथि बढ़ायी जानी चाहिए थी तो इसे दिनांक 22.04.10 के पूर्व बढ़ाया जाना चाहिए था और निविदा बिक्री की तिथि भी तदनुसार बढ़ायी जानी चाहिए थी। निविदा की तिथि 22.04.10 को बढ़ायी गयी और M/s GSCO Infra Project Pvt. Ltd., Chandigarh द्वारा दिनांक 23.04.10 को निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता।

इस तरह सम्यक समीक्षोपरान्त निविदा आमंत्रण से लेकर निविदा निस्तार तक श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा नियम के विरूद्ध कार्रवाई करने का उपर्युक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :–

(i) ''दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति''

वर्णित स्थिति में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ को निम्न दण्ड दिया जाता है।

''दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति''।

उक्त दण्ड श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉ को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 238-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in